मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-14.06.2013 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

---

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहुत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ एवं पेंशन से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। इसमें अपने विभाग स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई करना आवश्यक है।

2. बैठक में कुल 22 विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत ने भाग लिया। 4 विभाग यथा पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग को लम्बित सी0डब्लू0जे0सी0 एवं एम0जे0सी0 के 8 सप्ताह से अधिक पुराने मामले में 8 सप्ताह यानि दो माह के अन्दर सभी में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु निदेशित किया गया तथा उपस्थित प्रधान सचिव/सचिव द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि इसे सप्ताहिक समीक्षा कर निर्धारित समय के अन्दर इसे पूरा कर लिया जायेगा।

3. ग्रामीण कार्य विभाग से मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा लम्बित वादों/अवमाननावादों में रिट उपलब्ध नहीं होने के कारण निष्पादन में कठिनाई की जिक्र की गई। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा उन्हें बताया गया की रिट की प्रति आपके कम्प्यूटर में उपलब्ध है। IWDMS के माध्यम से रिट प्राप्त कर वादों का निष्पादन शीघ्र करें। वादों के निष्पादन में आपके कथन से स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य में आपकी निष्यक्रियता प्रतीत होती है। लम्बित वादों को एक माह के अन्दर सभी में प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगले माह के बैठक में सूचित करें।

3. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामले को 4 सप्ताह के अन्दर सभी में शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगले बैठक में इसकी सूचना से अवगत करायेंगे साथ ही उक्त समीक्षात्मक बैठक की तिथि से दो दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है, अत: अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि सभी विभाग प्रति माह प्राप्त आवेदनों

की समीक्षा स्वयं करें तथा प्रति माह प्राप्त आवेदन पत्रों तथा निष्पादित आवेदन पत्रों से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को प्रेषित करें।

5. मुख्य सचिव के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि ज्यादातर मामले सेवा, सेवान्त लाभ एवं प्रोन्नति से संबंधित होते है। अतः ज्यादातर निष्पादन विभाग स्तर पर समय पर हो जाने से मुकदमों की संख्या में कमी आयेगी। अतः इन मामलों का अनुश्रवण विभाग में करें तथा प्रत्येक माह सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ताकि इनका अनुश्रवण मुख्य सचिव के स्तर पर भी प्रत्येक माह किया जा सके।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

ह0/-अशोक कुमार सिन्हा
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/4583 जे0 पटना, दिनांक- 24.06.13

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/6/13
(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/4583 जे0 पटना, दिनांक- 24.06.13

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/6/13
(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।